



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृस्पतिवार, 30 जून, 2016

आषाढ 9, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2002/नौ-1-2016-115सा०-2013

लखनऊ, 30 जून, 2016

अधिसूचना

प०आ०-376

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत एका, जनपद फिरोजाबाद के प्रस्तावित सांक्रांतिक क्षेत्र पर आपत्ति और सुझाव को आमन्त्रित करने के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या 2227/9-1-2014-115सा०-2013, दिनांक 04 जून, 2014 प्रकाशित किया गया था और सरकारी अधिसूचना संख्या 2227/9-1-2014-115सा०-2013 दिनांक 04 जून, 2014 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण सरकारी आदेश संख्या 881/9-1-2015-115सा०-2013, दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृषेतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र जिसकी सीमा नीचे अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ सांक्रांतिक क्षेत्र होगा और उक्त सांक्रांतिक क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत एका, जनपद फिरोजाबाद के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

ग्राम	गाटों का विवरण
एका	01 से 6642 तक

अनुसूची-2

जनपद फिरोजाबाद में नगर पंचायत, एका की सीमाएं

पूरब चौहददी के ग्राम	रामपुर
दक्षिण चौहददी के ग्राम	पेंदत
पश्चिम चौहददी के ग्राम	देवा, गदनपुर, नगला गोशा
उत्तर चौहददी के ग्राम	आपुर

आज्ञा से,
श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2002/IX-1-2016-115Sa-2013, dated June 30, 2016:

No. 2002/IX-1-2016-115Sa-2013

Dated Lucknow, June 30, 2016

WHEREAS, Government notification no. 2227/IX-1-2014-115Sa-2013, dated June 4, 2014 was published to invite objection and suggestion on the proposed transitional area of Nagar Panchayat, Eka, district Firozabad as required under sub-section (1) of the section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. II of 1916) and objections and suggestions received in pursuance of Government notification no. 2227/IX-1-2014-115Sa-2013, dated June 4, 2014 were disposed of *vide* Government order no. 881/IX-1-2015-115Sa-2013, dated March 27, 2015.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population, the density of population the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to notify that the local area the limit of which is specified in the Schedule-I and Schedule-II below, shall be a transitional area, for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Eka in district Firozabad.

SCHEDULE-I

Villages	Details of Gattas
Eka	01 to 6642

SCHEDULE-II

Boundaries of Nagar Panchayat Eka in district Firozabad

East Boundary Village	Rampur
South Boundary Village	Pendant
West Boundary Village	Dewa, Gadanpur, Nagar Gosha
North Boundary Village	Apur

By order,
SHREEPRAKASH SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 227 राजपत्र (हि०)-2016-(494)-599+50 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।